



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

फाल्गुन 26, मंगलवार, शाके 1936-मार्च 17, 2015
Phalgun 26, Tuesday, Saka 1936-March 17, 2015

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
(सामान्य आदेशों, उप विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए)

सामान्य कानूनी नियम।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 16, 2015

जी.एस.आर. 63:- नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) की धारा 54 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान सरकार नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 1 का संशोधन.- राजस्थान सरकार नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियम, 2013, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 1 के उप-नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "सरकार" हटाई जायेगी।

3. नियम 7 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 7 में, अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के पश्चात्, निम्नलिखित अभिव्यक्ति जोड़ी जायेगी, अर्थात् :-

"आवेदन एकल खिड़की सामर्थ्यकारी प्रणाली के माध्यम से भी प्राप्त और निस्तारित किये जा सकेंगे।"

4. नियम 8 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 8 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "प्ररूप-5 में अभिस्वीकृति पर्ची" के स्थान पर अभिव्यक्ति "प्ररूप-5 में सम्यक् रूप से भरी हुयी अभिस्वीकृति पर्ची" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. नियम 10 का प्रतिस्थापन.— उक्त नियमों के विद्यमान नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“10. रजिस्ट्रीकरण के अवसान के बारे में सूचना.— प्राधिकरण नैदानिक स्थापन को, उसके अनंतिम या, यथास्थिति, स्थायी रजिस्ट्रीकरण के अवसान की तारीख के बारे में, प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित सूचना के माध्यम से सूचित करेगा। ऐसी सूचना, अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दशा में अवसान की तारीख से तीस दिन पूर्व और स्थायी रजिस्ट्रीकरण की दशा में अवसान की तारीख से छह मास पूर्व प्रकाशित की जायेगी।”

6. नियम 11 का संशोधन.— उक्त नियमों के नियम 11 के विद्यमान उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-नियम (4) जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

“(4) सरकार या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित सभी कर और फीस इत्यादि नैदानिक स्थापन द्वारा संदत्त किये जायेंगे और नैदानिक स्थापन की स्थापना के पश्चात्, यदि कर या फीस इत्यादि की कोई अतिरिक्त रकम संदेय है तो प्राधिकरण ऐसे कर या फीस इत्यादि के संदाय में समन्वय करेगा।”

7. नियम 15 का संशोधन.— उक्त नियमों के नियम 15 के विद्यमान उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(3) राज्य सरकार, इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित अन्य बीमारी को सम्मिलित करते हुए नैदानिक स्थापनों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित सूचना की प्रकृति, समय-समय पर, अधिसूचित कर सकेगी। ऐसी सूचना, राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रीति और अंतरालों के भीतर विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी।”

8. प्ररूप-5 का प्रतिस्थापन.— उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप-5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“प्ररूप-5
(नियम 8 देखिए)

अभिस्वीकृति
नैदानिक स्थापन का रजिस्ट्रीकरण

जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा दिनांकको.....
.....(स्वामी का नाम और पता) द्वारा प्रस्तुत नैदानिक स्थापन अनुदत्त

करने/अनंतिम/स्थायी रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्ररूप.....में आवेदन प्राप्त किया गया तथा

पूर्ण

या

अपूर्ण

पाया गया।

यह अभिस्वीकृति आवेदक को रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने या नवीकरण के लिए कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करती है।

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण या समुचित प्राधिकरण के कार्यालय में के प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और पदनाम।

जारी करने वाले प्राधिकारी का
पदनाम और हस्ताक्षर (कम्प्यूटर जनित)
मुहर

रसीद संख्यांक :

स्थान, तारीख और समय (कम्प्यूटर जनित)''

9. अनुसूची का प्रतिस्थापन.— उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

विवरण	"अनुसूची (नियम 11 देखिए) प्रभारित की जाने वाली फीस					
	नगरीय		ग्रामीण		महानगर	
	अनंतिम	स्थायी	अनंतिम	स्थायी	अनंतिम	स्थायी
बाह्य रोगी देखरेख	—	200	—	100	100	500
अंतरंग रोगी देखरेख						
1 से 30 बिस्तर	—	200	—	100	100	500
30 से 100 बिस्तर	100	500	50	250	200	1000
100 बिस्तरों से अधिक	200	1000	100	300	300	1500

जांच और निदान

प्रयोगशाला	100	500	50	250	200	1000
नैदानिक और इमेजिंग केन्द्र	200	1000	100	300	300	1500

अन्य फीसें :

- (i) नवीकरण के लिए रजिस्ट्रीकरण फीस की रकम का आधा (अनंतिम/स्थायी)
- (ii) विलम्बित आवेदन के लिए, नवीकरण फीस के साथ रजिस्ट्रीकरण (अनंतिम/स्थायी) के नवीकरण के लिए आवेदन फाइल करने की तारीख तक 50/- रुपये प्रतिदिन की विलम्ब फीस प्रभारित की जायेगी।
- (iii) प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के लिए रकम 200/- रुपये होगी।
- (iv) स्थापन के स्वामित्व, प्रबंध और नाम के परिवर्तन के लिए, रकम 100/- रुपये होगी।
- (v) अन्य अपील के लिए रकम 1000/- रुपये होगी।

टिप्पण: यदि कोई प्रयोगशाला या निदान केन्द्र बाह्य रोगी/अंतरंग रोगी देखरेख उपलब्ध करवाने वाले किसी स्थापन का भाग है तो किसी पृथक रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता नहीं है।"

[संख्या प. 16(5) चिस्वा/2/99 पार्ट]
राज्यपाल के आदेश से,
महावीर सिंह,
संयुक्त शासन सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
NOTIFICATION

Jaipur, March 16, 2015

G.S.R. 63.- In exercise of the power conferred by section 54 of the Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act, 2010 (Central Act No. 23 of 2010), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan

Government Clinical Establishment (Registration and Regulation) Rules, 2013, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Clinical Establishment (Registration and Regulation) (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 1.- In sub-rule (1) of rule 1 of the Rajasthan Government Clinical Establishment (Registration and Regulation) Rules, 2013, hereinafter referred to as the said rules, the existing expression "Government" shall be deleted.

3. Amendment of rule 7.- In rule 7 of the said rules, after the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the following expression shall be added, namely:-

"Applications may also be received and disposed off through signal window clearance system."

4. Amendment of rule 8.- In rule 8 of the said rules, for the existing expression "the acknowledgement slip in Form-5", the expression "the duly filled in acknowledgement slip in Form-5" shall be substituted.

5. Substitution of rule 10.- The existing rule 10 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"10. Information about expiry of registration.- The Authority shall inform through notice published on web site of the Authority inform the clinical establishment about date of expiry of its Provisional or Permanent registration, as the case may be, Such information shall be published, in case of Provisional Registration Certificate thirty days before date of expiry and in case of Permanent registration six months before the date of expiry".

6. Amendment of rule 11.- After the existing sub-rule (3) of rule 11 of the said rules, the following new sub-rule (4) shall be added, namely:-

"(4) All tax and fee etc. imposed by the Government or any other local authority shall be paid by the Clinical Establishment and after establishment of Clinical Establishment, if any additional amount of tax or fees etc. is payable, the Authority shall coordinate in payment of such tax or fees etc."

7. Amendment of rule 15.- The existing sub-rule (3) of rule 15 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"(3) The State Government may notify, from time to time, the nature of information required to be furnished by the Clinical Establishments including other disease notified for this purpose.

Such information shall be uploaded on the web site of the department in the manner and with in such interval as may be specified by the State Government."

8. Substitution of Form-5.- The existing Form-5 appended to the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"Form -5
(See rule 8)

ACKNOWLEDGEMENT

REGISTRATION OF CLINICAL ESTABLISHMENT

The application in Form ___ for Grant / Renewal of Provisional /Permanent registration of the Clinical Establishment submitted by _____ (Name and address of Owner) has been received by the District Registration Authority on _____ (date) and found to be

Complete

Or

Incomplete

This acknowledgement does not confer any rights on the applicant for grant or renewal of registration.

Signature and Designation of Registration Authority or authorized person in the Office of the Appropriate Authority.

Designation & Signature
of the Issuing Authority (Computer Generated)
SEAL

Receipt number:

Place, Date and Time: (Computer Generated)"

9. Substitution of Schedule.- The existing Schedule appended to the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"SCHEDULE
(See rule 11)

Description	Fees to be Charged					
	Urban	Urban	Rural	Rural	Metro	Metro
	Provisional	Permanent	Provisional	Permanent	Provisional	Permanent
Out Patient Care	-	200	-	100	100	500
In Patient Care:						
1 to 30beds	-	200	-	100	100	500
30 to 100 beds	100	500	50	250	200	1000
Above 100 beds	200	1000	100	300	300	1500
Testing & Diagnostic Laboratories	100	500	50	250	200	1000
Diagnostic & Imaging Centre	200	1000	100	300	300	1500

Other Fees:

- (i) For Renewal half the amount of registration fee (Provisional / Permanent)
- (ii) For Late Application, along with the renewal fee, Rs. 50/- per day late fee upto the date of filling application for renewal of the registration (Provisional / Permanent) shall be charged.
- (iii) For Duplicate Certificate, the amount shall be Rs. 100/-.
- (iv) For change of ownership, management or name of establishment shall be Rs. 100/-.
- (v) For any appeal the amount shall be Rs. 1000/-.

Note: If a laboratory or diagnostic center is a part of a establishment providing outpatient / Inpatient care no separate registration is required.

[No. F. 16(5) चिस्वा/2/99पार्ट]

By Order of the Governor,

महावीर सिंह,

Joint Secretary to the Government.

C96P80558C

⑤

~~HRVCA~~